रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 1973/माघ 4, 1894
No. 16] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 1973/MAGHA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th January 1973

SUBJECT.—*Trade with Bangladesh during the period from* 28-3-1972 *to* 27-3-1973.

No. 8-ITC(PN)/73—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 175-ITC(PN)/72 dated the 30th November, 1972 on the above subject, announcing the lists of further commodities for exports to Bangladesh from India and for exports to India from Bangladesh under the Limited Payments Arrangements.

2. The following amendments may be deemed to have been made in Appendix II to the aforesaid Public Notice No. 175-ITC (PN)/72 dated the 30th November, 1972:—

(i) Against the commodity 'Soap nuts' at Sl. No. (xii) under Column 1, the value shown under Column 2 may be enhanced from Rs. one lakhs to Rs. two lakhs.

(ii) After the entry against the existing Sl. No. (xvi), the following further commodities may be added :—

	Commotities/goods	Value (Rs. lakhs)	Eligible Exporters in Bangladesh.	Eligible Importers in India
(xvii)	Viscose Rayon Yarn Waste.	5·00	Eligible Exporters	Eligible Importers.
(xviii)	Cellophane Paper (Packing and Wrapping Paper)—preferably Saran Coated variety.	5·00	Eligible Exporters	Eligible Importers.

3. The provisions made in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 175-ITC (PN)/72, dated the 30th November, 1972 may be deemed to have been amended accordingly.

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1973

विषय.—28-3-1972 से 27-3-1973 अवधि के दौरान बांगलादेश के साथ व्यापार।

संख्या 8-आई०टी०सी० (पीएन)/73.—उपर्युक्त विषय पर, विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 175-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से बांगलादेश को निर्यातों तथा बांगला देश से भारत में निर्यातों के लिए आगामी पण्यवस्तुओं की सूची की घोषणा की गई थी।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना संख्या : 175-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 के अनुबन्ध 2 में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया गया है :—

(1) कालम 1 के अन्तर्गत क्रम संख्या (12) पर 'रीठा' पण्यवस्तु के सामने में प्रदर्शित एक लाख रुपये को बढ़ा कर 2 लाख रुपये किया जाए।

(2) वर्तमान क्रम संख्या (16) के सामने की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित और पण्यवस्तुओं को जोड़ा जाए :—

पण्यवस्तु/माल	मूल्य (लाख रुपयों में)	बांगलादेश में पात्र निर्यातक	भारत में पात्र आयातक
(17) विस्कोस रेयन यार्न वेस्ट	5.00	पात्र निर्यातक	पात्र आयातक
(18) सेलोफेन पेपर (पैकिंग तथा रेपिंग पेपर)— अधिमान्यत: सरन कोट हुई किस्म.	5.00	पात्र निर्यातक	पात्र आयातक

3. विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 175-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 में की गई व्यवस्थाओं को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973